ई0मेल/स्पीड पोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या–1030/सी0ई0ओ0–1–73/1–2016टीसी–B लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2019

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019–निर्वाचन ड्यूटी से मुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के दौरान निर्वाचन ड्यूटी से मुक्ति हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मतदान कार्मिको की स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त पत्रों का विवरण निम्नवत हैः–

क0 सं0	विभाग/संघ का नाम	पत्र संख्या एवं दिनांक	कार्यवाही
1	श्री एस0के0 पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी।	वा0/56(प)/स्थापना/19, दिनांक 28.02.2019	स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
2	श्री अतुल मिश्रा, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश।	UPSESC/47/GS/2019, दिनांक 25.02.2019	आयोग का पत्र संख्या– 464/INST/2007/PLN-V, दिनांक–11.12.2007 (छायाप्रति संलग्न)
3	कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।	पी0ए0/1572, दिनांक 08.03.2019	स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
4	डा0 सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य, मिर्जापुर मण्डल।	ई0मेल, दिनांक 05.03.2019	आयोग का पत्र संख्या– 464/INST/2007/PLN-V, दिनांक–11.12.2007 (छायाप्रति संलग्न)
5	डा0 हरेन्द्र कुमार राय, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ, लखनऊ।	दिनांक 12.03.2019	स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
6	श्री पीयूष वर्मा, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ।	पा0का0/लख0/551/01/01/2019 दिनांक 11.03.2019	स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
7	श्री रनबीर सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई0, देहरादून।	CBSE/RO/DDN/PA-Misc./2019 दिनांक 14.03.2019	स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
8	सुश्री प्रीती, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, फरीदापुर, शाहजहांपुर।	12-02-2019	आयोग का पत्र संख्या– 464/INST/2008/EPS, दिनांक–23.12.2008 (छायाप्रति संलग्न)
9	श्री अभय कुमार, पी0जी0टी0 कम्प्यूटर साइंस, जवाहर नवोदय विद्यालय, जीयनपुर, आजमगढ़।	E mail dated 14-03-2019	आयोग का पत्र संख्या– 464/INST/2008/EPS, दिनांक–23.12.2008 (छायाप्रति संलग्न)

1/S1

10	Indu Shekhar, Regional Administration and Finance Officer-UP	14-03-2019	स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार.

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः–1030(1)/सी0ई0ओ0–1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी को वा0/56(प)/स्थापना/19, दिनांक 28.02.2019 के क्रम में।
3– श्री अतुल मिश्रा, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश, 91, अवध विहार कालोनी, सेक्टर–II, इन्दिरानगर, लखनऊ को पत्र संख्या–UPSESC/47/GS/ 2019, दिनांक 25.02.2019
4– कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को पत्र संख्या–पी0ए0/1572, दिनांक–08.03.2019 के क्रम में।
5– संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर से प्राप्त ई0मेल के क्रम में।
6– डा0 हरेन्द्र कुमार राय, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ, 3/5 विजयन्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को पत्र दिनांक 12.03.201 के क्रम में।
7– श्री पीयूष वर्मा, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–पा0का0/लख0/551/01/01/2019 दिनांक–11.03.2019 के क्रम में।
8– क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई0, 99, कौलागढ़ रोड, देहरादून को पत्र संख्या–CBSE/RO/DDN/PA-Misc./2019,दिनांक 14.03.2019 के क्रम में।
9– सुश्री प्रीती, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, फरीदापुर, विकास क्षेत्र–तिलहर, जनपद–शाहजहांपुर को पत्र संख्या–12.02.2019 के क्रम में।
10– श्री अभय कुमार, पी0जी0टी0 कम्प्यूटर साइंस, जवाहर नवोदय विद्यालय, जीयनपुर, आजमगढ़ को ई0मेल दिनांक 14.03.2019 के क्रम में।
11– सुश्री इन्दु शेखर, रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर एण्ड फाइनेन्स आफिसर, यू0पी0, नेशनल पोलियों सर्विलान्स प्रोजेक्ट, 3/250, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को पत्र दिनांक 14.03.2019 के क्रम में ।
12– समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13– प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाईट पर डालने हेतु।

17.3.19

(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

तार–राज–मुद्रण

फोन : 05412-269338

e-mail

राजकीय मुद्रणालय

(3)

रामनगर, वाराणसी

ई–मेल : stategovtpress@gmail.com

06 MAR 2019

(लोकसभा निर्वाचन)

पंजीकृत

पत्रांक————

दिनांक————

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,
कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी,
वाराणसी।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक–कार्मिक/कार्यालयाध्यक्ष–631/लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019, दिनांकः 27.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रारूप–2/प्रारूप–3 की त्रुटि रहित ऑनलाइन डाटा इन्ट्री को शीघ्र कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–वा0/52/स्थापना/19 दिनांक–27.02.19 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि राजकीय मुद्रणालय रामनगर, वाराणसी औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के अधीन शासकीय संस्थान है। जिसमें प्रदेश के शासकीय विभागो के प्रपत्रों, पुस्तिकाओं एवं पंजीकाओं के मुद्रण का कार्य सम्पादित किया जाता है। वर्तमान में राजकीय मुद्रणालय रामनगर, वाराणसी द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 से सम्बन्धित प्रपत्रों, पंजीकाओं एवं पीठासीन अधिकारियों की हस्तपुस्तिका का मुद्रण कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। इसके साथ ही निर्वाचन अवधि में **"लॉ–एण्ड–आर्डर"** की समुचित व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग की जी0डी0, सी0डी0, एफ0आई0आर0, एन0सी0आर0 इत्यादि अतिमहत्तवपूर्ण प्रपत्रों का मुद्रण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके समानान्तर बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकाओं का निष्पादन भी मुद्रणालय द्वारा कराया जा रहा है।

प्रकरण में यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की तिथि घोषित किये जाने के पश्चात् राजकीय मुद्रणालय रामनगर, वाराणसी द्वारा आवंटित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतपत्रों का मुद्रण कार्य भी निर्वाचन प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए समयबद्धता से कराया जाना अपरिहार्य है, जिससे निर्वाचन व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकें। वर्णित निर्वाचन कार्यो के दृष्टिगत राजकीय मुद्रणालय रामनगर, वाराणसी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वाहन आदि को निर्वाचन ड्यूटी से पूर्व से ही मुक्त रखा गया है क्योंकि मुद्रणालय द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो यथा–मतपत्रों के मुद्रण, पीठासीन अधिकारियों की हस्तपुस्तिका एवं पंजीकाओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अतिमहत्तवपूर्ण प्रपत्रों का मुद्रण कार्य **"राउण्ड–द–क्लाक"** सम्पादित किया जाता है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि राजकीय मुद्रणालय रामनगर, वाराणसी के अधिकारी, कर्मचारी एवं वाहन आदि को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2019 के मतपत्रों के मुद्रण कार्य के समयबद्ध सम्पादन के दृष्टिगत पूर्व की भाँति निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखे जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं माह फरवरी–2019 का वेतन आहरित किये जाने हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करते हुए मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार वाराणसी को यथोचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(एस0के0पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक

पृ0 प0 सं0 – वा0/56(1)/स्थापना/19 तद्दिनांक–28-2-19

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ, को पत्र संख्याः 196/सी0ई0ओ0–1–145/1–2006 लखनऊ, दिनांक–24 जनवरी, 2019 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, वाराणसी को दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री रामनारायण, नोडल अधिकारी, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, भुवनेश्वरनगर कालोनी, अर्दली बाजार, वाराणसी।

(एस0के0पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक

3/51

कर्मचारी एकता जिन्दाबाद! पंजीकरण संख्या 2492/73–74 (4) कर्मचारी एकता जिन्दाबाद!

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश

State Employee's Joint Council, Uttar Pradesh

(उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग–4–संख्या–5/3/72 नियु0–4 दिनांक 18 फरवरी 1975 द्वारा मान्यता प्राप्त)

सुरेश कुमार रावत
अध्यक्ष
मो. : 9415059600

गिरीश मिश्रा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
मो. : 9415304858

अतुल मिश्रा
महामंत्री
मो. : 9415793257

पत्रांक : U.P.S.E.J.C./47/G.S./2019

दिनांक : 25/02/19

सेवा में,

मुख्य चुनाव अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः–प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत पैरामेडिकल स्टाफ की निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय चिकित्सालयों व मेडिकल कालेज में कार्यरत समस्त पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा आवश्यक व आकस्मिक ड्यूटी का निर्वहन किया जाता है। पैरामेडिकल स्टाफ की निर्वाचन ड्यूटी लगाये जाने से चिकित्सालयों की सामान्य व्यवस्था के साथ आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। साथ ही प्रदेश के गरीब मरीजों को उपचार में कॉफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आप भिज्ञ है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चिकित्सालयों के कर्मियों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने का निर्देश जारी किया गया है।

अतः सादर अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रदेश के चिकित्सालयों में कार्यरत समस्त पैरामेडिकल स्टाफ को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने का आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

Atul

(अतुल मिश्रा)
महामंत्री

प्रतिलिपिः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

(अतुल मिश्रा)
महामंत्री

कैम्प कार्यालय : 91, अवध विहार कालोनी, सेक्टर–11, इन्दिरानगर, लखनऊ–226016
ई–मेल : atulvijaymisra@gmail.com फोन एवं फैक्सः 0522-2700776

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated : 11th December, 2007.

No 464/INS/2007/PLN-I/

To

The Chief Electoral Officers
Of all States and Union Territories.

Subject- Exemption from election duties - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission has been receiving representations from the organizations like Cabinet Secretariat, Govt. of India etc. for exemption from election duties of Central Intelligence Agencies etc.

The Commission, after due consideration has decided that henceforth the officials working in CBI, IB and RAW (and other intelligence agencies) should not be drafted for election/election related duties.

The Commission has further decided that the personnel working in essential services like Hospitals, Airports, Fire Services also should not be appointed to any election/ election related duties

All concerned may be informed to follow the above said instruction scrupulously

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Yours faithfully,

(K.N. BHAR)
UNDER SECRETARY

STANDARD DISTRIBUTION

5/51

MISC. BENCH No. - 3395 of 2017

Petitioner :- Arvind Kumar Tiwari
Respondent :- Election Commission Of India Thru. Under Secy. & Others
Counsel for Petitioner :- Aditya Dwivedi
Counsel for Respondent :- C.S.C, Atrajita Bansal, Virendra Kumar Dubey

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi, J.
Hon'ble Sanjay Harkauli, J.

Heard learned counsel for the petitioner and Sri O.P. Srivastava along with Sri V.K. Dubey for the Election Commission of India.

This petition had been preferred contending that the petitioner being a para-medical staff could not be relieved for being posted for election duty. For this reliance has been placed by the petitioner on the Circular dated 11.12.2007. We had called upon the learned counsel for the Election Commission of India to receive instructions about the status of the aforesaid circular and Sri O.P. Srivastava submits that the said circular has neither been rescinded nor yet withdrawn and is still intact. He informs the Court that appropriate instructions shall be issued within 24 hours.

In the light of what has been submitted as above we direct that the respondents no. 2 and 3 shall not insist upon the State Government or the employer of the petitioner to relieve him for election duties in the forthcoming assembly elections of 2017.

The petition is finally Disposed Off with the said directions.

Order Date :- 16.2.2017
Om.

(Sanjay Harkauli, J.)(Amreshwar Pratap Sahi, J.)

Authenticated Copy

19-2-17

— निर्वाचन अधिकारी_4.jpg —

6/51

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्याः–1679/सी0ई0ओ0–1– लखनऊ दिनांक 05 अप्रैल, 2014

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–लोक सभा निर्वाचन–2014 जिला चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सकों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 में जिला चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत चिकित्सकों को यथासंभव निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्याः–1679/सी0ई0ओ0–1–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष/महामंत्री प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ, सी–142,ए–1 महानगर लखनऊ को उनके पत्र संख्या–पीएमएसए/ओएफएफ/323/2014 दिनांक 14.03.2014 के संदर्भ में

2– समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– कम्प्यूटर प्रभारी को पी0डी0एफ0 फाइल हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

Subject: FW:
To: "ceo_uttarpradesh@eci.gov.in" <ceo_uttarpradesh@eci.gov.in>, "ceoup@nic.in" <ceoup@nic.in>

Date: 03/08/19 12:43 PM
From: secup <secup@secup.in>

निर्वाचन अधिकारी_3.jpg (415kB) निर्वाचन अधिकारी_4.jpg (423kB) निर्वाचन अधिकारी_1.jpg (407kB) निर्वाचन अधिकारी_2.jpg (340kB)

Dear Sir,

Please find attachments,

Thank you

State Election Commission, UP
PCF Building, 32-Station Road,
Lucknow - 226 001
Phone: 0522-2630195
Fax : 0522-2630115/2630134
Email : secup@secup.in

From: Atul Misra <atulvijaymisra@gmail.com>
Sent: 08 March 2019 12:39 PM
To: secup
Subject:

—निर्वाचन अधिकारी_3.jpg

ASSTCEO (P)
08/3/19
(रमेश चन्द्र राय)
... निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

SO-1

08/03/19
(अरबिन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

(5)

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/1572
दिनांक: 08.03.2019

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

2. मण्डलायुक्त
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

विषय :- अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को सामान्य निर्वाचन 2019 में ड्यूटी से विरत रखने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षक संघ(मूटा) द्वारा कुलपति, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगाए जाने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अधिकांश छात्र अनुदानित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् है तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय सहित सभी महाविद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षायें चल रही हैं तथा दिनांक 21.02.2019 से मुख्य परीक्षायें भी प्रारम्भ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के हित में शैक्षिक कलैण्डर के द्वारा परीक्षाफल मई माह के अन्त तक घोषित किया जाना है। यदि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगाई जायेगी तो वर्ष 2019 की मुख्य परीक्षा प्रभावित होने की प्रबल संभावना है।

अतः मा0 कुलपति जी के निर्देशानुसार आपसे आग्रह है कि व्यापक छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए दोनो मण्डल के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को चुनाव प्रक्रिया से मुक्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य चुनाव अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ सादर प्रेषित।

08/03/19
कुलसचिव

ACEO (M)
0.3.19
एल. वेंकटेश्वर लू
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
प्रमुख सचिव, निर्वाचन
उ0 प्र0 शासन।
434
JCEO (TC)

11-03-2019
(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव निर्वाचन एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उ0प्र0 शासन।

540
AsstCEO (P)
11/03/19
(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

334
SO-1

11/03/19
(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

Date: 03/08/19 05:14 PM
From: registrar@ccsuniversity.ac.in

Subject: **Regarding Election Duty**
To: ceo_uttarpradesh@eci.gov.in

mr1.jpg (479kB)

Sir,

Please find attachment.

Registrar

—mr1.jpg

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

12 MAR 2019

पत्रांक : पी०ए०/ 1572
दिनांक: 08.03.2019

सेवा में, 12 MAR 2019

1. मण्डलायुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

2. मण्डलायुक्त
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर।

307/CCDC

विषय :– अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को सामान्य निर्वाचन 2019 में ड्यूटी से विरत रखने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षक संघ(मूटा) द्वारा कुलपति, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में न लगाए जाने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के अधिकांश छात्र अनुदानित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् है तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय सहित सभी महाविद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षायें चल रही हैं तथा दिनांक 21.02.2019 से मुख्य परीक्षायें भी प्रारम्भ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के हित में शैक्षिक कलैण्डर के द्वारा परीक्षाफल मई माह के अन्त तक घोषित किया जाना है। यदि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगाई जायेगी तो वर्ष 2019 की मुख्य परीक्षा प्रभावित होने की प्रबल संभावना है।

अतः मा० कुलपति जी के निर्देशानुसार आपसे आग्रह है कि व्यापक छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए दोनो मण्डल के अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को चुनाव प्रक्रिया से मुक्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1. मुख्य चुनाव अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ सादर प्रेषित।

08/03/19

कुलसचिव

11/51

---

(6)

With due respect it is to state that, I have been appointed as the Reserve Zonal Magistrate for Mirzapur District, Uttar Pradesh in the forth-coming elections by order of Chief Election Officer, Mirzapur, Uttar Pradesh.
Vide Letter No.1470/ निर्वाचन-2019/(रिज़र्वज़ोनलमैजिस्ट्रेट), **Dated:** 05/03/2019
The Commission itself has stated
VideitsLetter No:464/INS/2007/PLN-I Dated: 11/12/2007that:
"The Personnel working under **essential services**like Hospitals, Airports, Fire Services should not be appointed for any election/ election related duties"

Administrative Health Officers are too involved in Supervisory & Implementation Roles of various Health Programs and Services and come under the essential services so they qualify for the exemption from Election Duties.

It is therefore requested to pass the necessary orders in accordance with your above stated circular and instruct District Election Officer, Mirzapur to exempt me from Election Duties.

Thanking You
Dr. Surendra Kumar Upadhyay
Jt. Director, Health, Mirzapur Div., UP
+91-9415214199

CC:

1. State Election Commissioner, Lucknow, Uttar Pradesh
2. Chief Election Officer, Mirzapur, Uttar Pradesh
3. Additional Director Health, Mirzapur Div., Uttar Pradesh

Annexure:
Circular of Election Commission of India Dated: 11/12/2007 regarding exemption.

– ECI Letter.jpeg

12/51

3:03 PM 0.00K/s 4G

VOLUME-I...

ITEM NO. 14

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated : 11th December, 2007.

No.464/INS/2007/PLN- II

To,
The Chief Electoral Officers
Of all States and Union Territories.

Subject:- Exemption from election duties - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission has been receiving representations from the organizations like Cabinet Secretariat, Govt. of India etc. for exemption from election duties of Central Intelligence Agencies etc.

The Commission, after due consideration has decided that henceforth the officials working in CBI, IB and RAW (and other intelligence agencies) should not be drafted for election/election related duties.

The Commission has further decided that the personnel working in essential services like Hospitals, Airports, Fire Services also should not be appointed to any election/election related duties.

All concerned may be informed to follow the above said instruction scrupulously.

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Yours faithfully,

(K.N. BHAR)
UNDER SECRETARY

13/51

26

14/51

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated : 11th December, 2007.

No.464/INS/2007/PLN- II

To
The Chief Electoral Officers
Of all States and Union Territories.

Subject:- Exemption from election duties - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission has been receiving representations from the organizations like Cabinet Secretariat, Govt. of India etc. for exemption from election duties of Central Intelligence Agencies etc.

The Commission, after due consideration has decided that henceforth the officials working in CBI, IB and RAW (and other intelligence agencies) should not be drafted for election/election related duties.

The Commission has further decided that the personnel working in essential services like Hospitals, Airports, Fire Services also should not be appointed to any election/election related duties.

All concerned may be informed to follow the above said instruction scrupulously.

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Yours faithfully,

(K.N. BHAR)
UNDER SECRETARY

STANDARD DISTRIBUTION

15/51

Subject: FW: Regarding Exemption from Election Duties in Mirzapur Dist. U.P.
To: "ceo_uttarpradesh@eci.gov.in" <ceo_uttarpradesh@eci.gov.in>, "ceoup@nic.in" <ceoup@nic.in>

Date: 03/11/19 05:44 PM
From: secup <secup@secup.in>

EC Letter.jpeg (75kB)

ACEO(M)

478/ACEO
JCEO(R)

Dear Sir,

Please find attachments,

Thank you

State Election Commission, UP
PCF Building, 32-Station Road,
Lucknow - 226 001
Phone: 0522-2630195
Fax : 0522-2630115/2630134
Email : secup@secup.in

11.3.19
(एल. वेंकटेश्वर लू)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, निर्वाचन
उ.प्र. शासन।

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव निर्वाचन एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उ.प्र. शासन।

563
Asstt CEO (B)
12/3/19

From: secup
Sent: 08 March 2019 5:49 PM
To: Postal Section7
Subject: FW: Regarding Exemption from Election Duties in Mirzapur Dist. U.P.

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

360
SO-1

Dear Sir,

Please find attachments,

Thank you

12/03/19
(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश

State Election Commission, UP
PCF Building, 32-Station Road,
Lucknow - 226 001
Phone: 0522-2630195
Fax : 0522-2630115/2630134
Email : secup@secup.in

From: Surendra Kr. Upadhyay <skupadhyay1960@gmail.com>
Sent: 08 March 2019 5:47 PM
To: admhmzp1@gmail.com; secup; secup@up.nic.in; mirzapur; complaints@eci.gov.in; ceo_uttarpradesh@eci.gov.in
Subject: Regarding Exemption from Election Duties in Mirzapur Dist. U.P.

To,
The Election Commission Of India
New Delhi.

Subject: Regarding Exemption from Election Duties in Mirzapur Dist. U.P.

Sir/ Madam,

16/51

Subject: FW: Regarding Exemption from Election Duties in Mirzapur Dist. U.P.
To: "ceo_uttarpradesh@eci.gov.in" <ceo_uttarpradesh@eci.gov.in>, "ceoup@nic.in" <ceoup@nic.in>

Date: 03/12/19 10:26 AM
From: secup <secup@secup.in>

ECI Letter.jpeg (75kB)

Dear Sir,

Please find attachments,

Thank you

SO-1
12/03/19

Asstt CEO (B)
12/3/19
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

State Election Commission, UP
PCF Building, 32-Station Road,
Lucknow - 226 001
Phone: 0522-2630195
Fax : 0522-2630115/2630134
Email : secup@secup.in

From: Surendra Kr. Upadhyay <skupadhyay1960@gmail.com>
Sent: 11 March 2019 6:55 PM
To: mirzapur
Cc: admhmzp1@gmail.com; ceo_uttarpradesh@eci.gov.in; complaints@eci.gov.in; secup; secup@up.nic.in
Subject: Regarding Exemption from Election Duties in Mirzapur Dist. U.P.

To,
The District Election Officer, Mirzapur,
Uttar Pradesh

Subject: Regarding Exemption from Election Duties in Mirzapur Dist. U.P.

Sir,

It is to state that, I have been appointed as the Reserve Zonal Magistrate for Mirzapur District, Uttar Pradesh in the forth-coming elections by you,
Vide **Letter No.**1470/ निर्वाचन-2019/(रिज़र्वज़ोनलमैजिस्ट्रेट), **Dated:** 05/03/2019
The Commission itself has stated
Vide its **Letter No:**464/INS/2007/PLN-I **Dated:** 11/12/2007 that:
"The Personnel working under **essential services** like Hospitals, Airports, Fire Services should not be appointed for any election/ election related duties"

Administrative Health Officers are too involved in Supervisory & Implementation Roles of various Health Programs and Services and come under the essential services so they qualify for the exemption from Election Duties.

It is therefore requested to pass the necessary orders in accordance with the EC's above stated Circular.

17/51

Thanking You
Dr. Surendra Kumar Upadhyay
Jt. Director, Health, Mirzapur Div., UP
+91-9415214199

CC:

1. Election Commission Of India
2. State Election Commissioner, Lucknow, Uttar Pradesh
3. Additional Director Health, Mirzapur Div., Uttar Pradesh

Annexure:
Circular of Election Commission of India Dated: 11/12/2007 regarding exemption.

— ECI Letter.jpeg

3:03 PM 0.00K/s 4G

VOLUME-I...

ITEM NO. 14

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.464/INS/2007/PLN- I/ Dated : 11[th] December, 2007.

To The Chief Electoral Officers
Of all States and Union Territories.

Subject:- Exemption from election duties - regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission has been receiving representations from the organizations like Cabinet Secretariat, Govt. of India etc. for exemption from election duties of Central Intelligence Agencies etc.

The Commission, after due consideration has decided that henceforth the officials working in CBI, IB and RAW (and other intelligence agencies) should not be drafted for election/election related duties.

The Commission has further decided that the personnel working in essential services like Hospitals, Airports, Fire Services also should not be appointed to any election/ election related duties.

All concerned may be informed to follow the above said instruction scrupulously.

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Yours faithfully,

(K.N. BHAR)
UNDER SECRETARY

18/51

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517–2003–04

डॉ. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय, लखनऊ
मो. : 9415222859, 8318063053
E-mail : hkr.jndc@gmail.com

डॉ. मोजपाल सिंह
अध्यक्ष
एसोसिएट प्रोफेसर,
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग
जनता वैदिक कालिज, बड़ौत, बागपत
मो. : 9412210091, 9312010091
E-mail : mojpal64@gmail.com

328/CEO/14

13 MAR 2019

दिनांक:12.03.2019

सेवा में,

मुख्य चुनाव आयुक्त
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषयः उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् प्राध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की लोकसभा निर्वाचन 2019 में ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ हो चुकी है। वार्षिक परीक्षा के समाप्ति के पूर्व ही सेमेस्टर परीक्षायें प्रारम्भ हो जायेंगी। परिणामस्वरूप मार्च से लेकर 10 मई तक परीक्षाएं निरन्तर संचालित रहेंगी। परीक्षाओं का यह कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 एवं कुलाधिपति समस्त राज्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में परीक्षा समाप्त करने तथा मूल्यांकन पूर्ण कराकर परिणाम घोषित किये जाने के कड़े निर्देश के क्रम में निर्मित किये गये हैं।

प्रदेश के प्रायः सभी जिलाधिकारियों ने महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के चुनाव में ड्यूटी लगा दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षक संगठनों द्वारा अपने कुलपतियों तथा प्रदेशीय शिक्षक महासंघ एवं शिक्षक विधायकों द्वारा शासन के अधिकारियों को इस कठिनाई से अवगत कराया गया कि यदि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई जाएगी तो परीक्षाएं, मूल्यांकन एवं समय से परिणाम घोषित करने की

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517–2003–04

डॉ. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय, लखनऊ
मो. : 9415222859, 8318063053
E-mail : hkr.jndc@gmail.com

डॉ. मोजपाल सिंह
अध्यक्ष
एसोसिएट प्रोफेसर,
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग
जनता वैदिक कालिज, बड़ौत, बागपत
मो. : 9412210091, 9312010091
E-mail : mojpal64@gmail.com

लगाई जाएगी तो परीक्षाएं, मूल्यांकन एवं समय से परिणाम घोषित करने की समयबद्धता प्रभावित होगी जिससे आगामी शैक्षिक सत्र समय से प्रारम्भ नहीं हो सकेगा। यह परिस्थिति निश्चित रूप से प्रदेश के छात्रों के लिए अप्रिय होगी। यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि वर्तमान में महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 45% पद रिक्त हैं और छात्र संख्या बहुत अधिक है जिससे किसी भी शिक्षक/कर्मचारी को परीक्षा काल में छोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

उरोक्त वर्णित परिस्थियों के दृष्टिगत मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 8 मार्च 2019 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी आगामी चुनाव में न लगाई जाय परन्तु आज अचानक उनके द्वारा ही उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपके प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि, प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आदेश देने की कृपा करें कि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में न लगायी जाय और यदि कहीं लगाई जा चुकी हो तो उनकी ड्यूटी निरस्त कर दी जाय। छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश से शिक्षक समुदाय एवं अभिभावक गण आपके कृतज्ञ रहेंगे।

सादर।

संलग्नक : उक्तवत् ।

भवदीय

(डॉ0 मोजपाल सिंह)

(डॉ0 हरेन्द्र कुमार राय)

स्थानीय कार्यालय : 3/5, विजयन्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010; Website : www.fupuctareg.org

संख्या–169 / सत्तर–1–2019–16(9) / 2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक :08 मार्च, 2019

विषयः– आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं संचालित हैं। विश्वविद्यालयों के सत्र विनियमन के दृष्टिकोण से परीक्षा परिणाम समयबद्ध रूप से निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार निर्गत किया जाना आवश्यक है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा संचालन एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने की कार्यवाही से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में न लगायी जाय।

उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या–169(1) / सत्तर–1–2019–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त प्राचार्य, राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें।
7– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
8– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

s o/g.o-2/c-3

21/51

संख्या– 180 / सत्तर–1–2019–16(9) / 2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक :12 मार्च, 2019

विषयः– आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा संचालन एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने की कार्यवाही से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में न लगाये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–169 / सत्तर–1–2019–16(9) / 2018 दिनांक 08 मार्च, 2019 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या– 180 (1) / सत्तर–1–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त प्राचार्य, राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें।
7– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
8– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

22/51

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517–2003–04

डॉ. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय, लखनऊ
मो. : 9415222859, 8318063053
E-mail : hkr.jndc@gmail.com

डॉ. मोजपाल सिंह
अध्यक्ष
एसोसिएट प्रोफेसर,
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग
जनता वैदिक कालिज, बड़ौत, बागपत
मो. : 9412210091, 9312010091
E-mail : mojpal64@gmail.com

301/CB
ACEO(M)

दिनांक:12.03.2019

सेवा में,

मुख्य चुनाव आयुक्त
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

12.3.19
एल. वेंकटेश्वर लू
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं
प्रमुख सचिव, निर्वाचन
उ0 प्र0 शासन।

विषयः उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् प्राध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की लोकसभा निर्वाचन 2019 में ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

557
JCEO(R)

आदरणीय महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ हो चुकी है। वार्षिक परीक्षा के समाप्ति के पूर्व ही सेमेस्टर परीक्षायें प्रारम्भ हो जायेंगी। परिणामस्वरूप मार्च से लेकर 10 मई तक परीक्षाएं निरन्तर संचालित रहेंगी। परीक्षाओं का यह कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 एवं कुलाधिपति समस्त राज्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में परीक्षा समाप्त करने तथा मूल्यांकन पूर्ण कराकर परिणाम घोषित किये जाने के कड़े निर्देश के क्रम में निर्मित किये गये हैं।

(योगेश्वर राम मिश्र)
विशेष सचिव निर्वाचन एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उ0प्र0 शासन

ASO(P)
13/3/19

प्रदेश के प्रायः सभी जिलाधिकारियों ने महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के चुनाव में ड्यूटी लगा दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षक संगठनों द्वारा अपने कुलपतियों तथा प्रदेशीय शिक्षक महासंघ एवं शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा शासन के अधिकारियों को इस कठिनाई से अवगत कराया गया कि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई जाएगी तो परीक्षाएं, मूल्यांकन एवं समय से परिणाम घोषित करने की

(रमेश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

393
SO-1

13/03/19
(... कुमार पाण्डेय)

23/81

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517–2003–04

डॉ. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय, लखनऊ
मो. : 9415222859, 8318063053
E-mail : hkr.jndc@gmail.com

डॉ. मोजपाल सिंह
अध्यक्ष
एसोसिएट प्रोफेसर,
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग
जनता वैदिक कालिज, बड़ौत, बागपत
मो. : 9412210091, 9312010091
E-mail : mojpal64@gmail.com

लगाई जाएगी तो परीक्षाएं, मूल्यांकन एवं समय से परिणाम घोषित करने की समयबद्धता प्रभावित होगी जिससे आगामी शैक्षिक सत्र समय से प्रारम्भ नहीं हो सकेगा। यह परिस्थिति निश्चित रूप से प्रदेश के छात्रों के लिए अप्रिय होगी। यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि वर्तमान में महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 45% पद रिक्त हैं और छात्र संख्या बहुत अधिक है जिससे किसी भी शिक्षक/कर्मचारी को परीक्षा काल में छोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

उरोक्त वर्णित परिस्थियों के दृष्टिगत मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 8 मार्च 2019 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी आगामी चुनाव में न लगाई जाय परन्तु आज अचानक उनके द्वारा ही उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपके प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आदेश देने की कृपा करें कि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में न लगायी जाय और यदि कहीं लगाई जा चुकी हो तो उनकी ड्यूटी निरस्त कर दी जाय। छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश से शिक्षक समुदाय एवं अभिभावक गण आपके कृतज्ञ रहेंगे।

सादर।

संलग्नक : उपरोक्तवत

भवदीय

(डॉ0 मोजपाल सिंह) (डॉ0 हरेन्द्र कुमार राय)

23A/81

संख्या-169/सत्तर-1-2019-16(9)/2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, 2019

विषयः- आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं संचालित हैं। विश्वविद्यालयों के सत्र विनियमन के दृष्टिकोण से परीक्षा परिणाम समयबद्ध रूप से निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार निर्गत किया जाना आवश्यक है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा संचालन एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने की कार्यवाही से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में न लगायी जाय।

उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या-169(1)/सत्तर-1-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें।
7- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
8- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

24/51

संख्या- 180/सत्तर-1-2019-16(9)/2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2019

विषयः- आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा संचालन एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने की कार्यवाही से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में न लगाये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-169/सत्तर-1-2019-16(9)/2018 दिनांक 08 मार्च, 2019 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या-180(1)/सत्तर-1-2019-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें।
7- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
8- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

24A/51

(7)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517–2003–04

डॉ. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय, लखनऊ
मो. : 9415222859, 8318063053
E-mail : hkr.jndc@gmail.com

डॉ. मोजपाल सिंह
अध्यक्ष
एसोसिएट प्रोफेसर,
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग
जनता वैदिक कालिज, बड़ौत, बागपत
मो. : 9412210091, 9312010091
E-mail : mojpal64@gmail.com

सेवा में, दिनांक:12.03.2019

मुख्य चुनाव आयुक्त
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषयः उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् प्राध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की लोकसभा निर्वाचन 2019 में ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

सानुरोध अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ हो चुकी है। वार्षिक परीक्षा के समाप्ति के पूर्व ही सेमेस्टर परीक्षायें प्रारम्भ हो जायेंगी। परिणामस्वरूप मार्च से लेकर 10 मई तक परीक्षाएं निरन्तर संचालित रहेंगी। परीक्षाओं का यह कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 एवं कुलाधिपति समस्त राज्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में परीक्षा समाप्त करने तथा मूल्यांकन पूर्ण कराकर परिणाम घोषित किये जाने के कड़े निर्देश के क्रम में निर्मित किये गये हैं।

प्रदेश के प्रायः सभी जिलाधिकारियों ने महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 के चुनाव में ड्यूटी लगा दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षक संगठनों द्वारा अपने कुलपतियों तथा प्रदेशीय शिक्षक महासंघ एवं शिक्षक विधायकों द्वारा शासन के अधिकारियों को इस कठिनाई से अवगत कराया गया कि यदि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई जाएगी तो परीक्षाएं, मूल्यांकन एवं समय से परिणाम घोषित करने की

...कुमार पाण्डेय)
...धिकारी

25/51

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ
Federation of U.P. University & College Teachers Association

पंजीकरण संख्या : 517–2003–04

डॉ. हरेन्द्र कुमार राय
महामन्त्री
एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विभाग
श्री जय नारायण महाविद्यालय, लखनऊ
मो. : 9415222859, 8318063053
E-mail : hkr.jndc@gmail.com

डॉ. मोजपाल सिंह
अध्यक्ष
एसोसिएट प्रोफेसर,
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग
जनता वैदिक कालिज, बड़ौत, बागपत
मो. : 9412210091, 9312010091
E-mail : mojpal64@gmail.com

लगाई जाएगी तो परीक्षाएं, मूल्यांकन एवं समय से परिणाम घोषित करने की समयबद्धता प्रभावित होगी जिससे आगामी शैक्षिक सत्र समय से प्रारम्भ नहीं हो सकेगा। यह परिस्थिति निश्चित रूप से प्रदेश के छात्रों के लिए अप्रिय होगी। यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि वर्तमान में महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 45% पद रिक्त हैं और छात्र संख्या बहुत अधिक है जिससे किसी भी शिक्षक/कर्मचारी को परीक्षा काल में छोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

उरोक्त वर्णित परिस्थियों के दृष्टिगत मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 8 मार्च 2019 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी आगामी चुनाव में न लगाई जाय परन्तु आज अचानक उनके द्वारा ही उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपके प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आदेश देने की कृपा करें कि महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ड्यूटी आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 में न लगायी जाय और यदि कहीं लगाई जा चुकी हो तो उनकी ड्यूटी निरस्त कर दी जाय। छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश से शिक्षक समुदाय एवं अभिभावक गण आपके कृतज्ञ रहेंगे।

सादर,

संलग्नक : उपरोक्त

(डॉ0 मोजपाल सिंह) (डॉ0 हरेन्द्र कुमार राय)

25/51

संख्या– 169 / सत्तर–1–2019–16(9) / 2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, 2019

विषयः– आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं संचालित हैं। विश्वविद्यालयों के सत्र विनियमन के दृष्टिकोण से परीक्षा परिणाम समयबद्ध रूप से निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार निर्गत किया जाना आवश्यक है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा संचालन एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने की कार्यवाही से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में न लगायी जाय।

उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव

संख्या–169(1) / सत्तर–1–2019–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त प्राचार्य, राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें।
7– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
8– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

26/51

संख्या– 180 / सत्तर–1–2019–16(9) / 2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग 1 लखनऊ : दिनांक [illegible] मार्च, 2019

विषयः– आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परीक्षा संचालन एवं परीक्षा परिणाम तैयार करने की कार्यवाही से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की ड्यूटी लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में न लगाये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–169 / सत्तर–1–2019–16(9) / 2018 दिनांक 08 मार्च, 2019 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या– 180(1) / सत्तर–1–2019–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त प्राचार्य, राजकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
6– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश को समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें।
7– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
8– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

26 A/51

(8)

आवश्यक / महत्वपूर्ण

प्रेषक, 12 MAR 2019

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3241/C 2019

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0,

चतुर्थतल,विकास भवन जनपथ मार्केट, लखनऊ।

पत्रांक– मा0शि0प0 / प्रबन्ध 36 / 114 / दिनांकः11 मार्च 2019

विषयः माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों एवं कर्यालय वाहनों को विशेष परिस्थिति में वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा निर्वाचन कार्य से मुक्त रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 07 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 27.02.2019 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यालय सहित, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ / बरेली / वाराणसी / प्रयागराज एवं गोरखपुर के समस्त अधिकारी / कर्मचारी को कार्यालय वाहन सहित आगामी, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की ड्युटी से मुक्त रखने का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अभी तक आपके स्तर से कोई आदेश / निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अस्तु परिषदीय शासकीय कार्याहित में आपसे अनुरोध है कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की ड्यूटी से परिषद कार्यालय के सभी अधिकारी / कर्मचारी को, कार्यालय वाहन सहित, मुक्त रखने का शासनादेश शीघ्र ही निर्गत कराने का कष्ट करे।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव

27/51

[illegible]

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय अधीक्षक डाकघर शाहजहांपुर मंडल शाहजहांपुर

(9)

सेवा में,

माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी

2 MAR 2019 जनपद शाहजहांपुर-242001

पत्रांक:- बी /जन /मिस /2018 शाहजहांपुर दिनांक 08.03.2019.

विषय:- आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 में डाक कर्मचारियों को इयूटी से मुक्त रखने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके पत्रांक सं०- 29 /निर्वाचन-2019 दिनांक 24.01.2019

309/CEO/19

****

महोदया,

विषयगत प्रकरण में आपको अवगत कराना है कि भारतीय डाक विभाग की अति आवश्यक सेवाओं के कारण गत निर्वाचनों विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2012, लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 व विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ० प्र० लखनऊ से जारी आदेश पत्र सं० 457/ सी०ई०ओ०-1-2011 दिनांक 21.01.2012, पत्र सं० 569/ सी०ई०ओ०-1-दिनांक 06.03.2014 एवं पत्र सं० 979/ सी०ई०ओ०-1-73 /1-2016 दिनांक 02.02.2017 के द्वारा भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों एवं वाहनों को निर्वाचन इयूटी से मुक्त रखा गया था।

उक्त मामले में यह भी अवगत कराया जाता है की डाक विभाग की आवश्यक सेवाएं जनहित में अति महत्व है एवं संपूर्ण शाहजहांपुर डाक मंडल में डाक संचालन का कार्य करना एवं इस कार्य की निगरानी के साथ ही विभाग के उच्च अधिकारियों को दैनिक प्रगति रिपोर्टें भी प्रेषित की जाती हैं. ऐसी परिस्तिथियों में डाक कर्मचारियों के निर्वाचन इयूटी में जाने से वितीय कार्यों के अतिरिक्त डाक संचालन की व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ० प्र० लखनऊ के उपरोक्त वर्णित पत्रों एवं डाक घर की विशिष्ट सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए डाक विभाग शाहजहांपुर मंडल के कर्मचारियों को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 में निर्वाचन इयूटी से मुक्त रखने की कृपा करें।

सादर।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधीक्षक डाकघर

शाहजहांपुर-242001

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ० प्र० चतुर्थ तल विकास भवन जनपथ मार्केट लखनऊ-226001
2. पोस्टमास्टर जनरल बरेली रीजन बरेली-243001

29/51

---

(10)

दूरभाष/Telephone 0522-2307530

ई-मेल/E-mail : rpo.lucknow@mea.gov.in

फैक्स/Fax 0522-2307529

वेबसाइट www.passportindia.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
पासपोर्ट कार्यालय
PASSPORT OFFICE

पासपोर्ट ऑफिस काम्पलेक्स (आर0बी0आई0 के पीछे) विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

Passport Office Complex, (Behind R.B.I.)Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

657/CEO

CEO(m)

पत्रांक सं.: पा0का0/लख0/551/01/01/2019

दिनांक : 11/03/2019

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल, विकास भवन,

जनपथ मार्केट,

लखनऊ (उ0प्र0), पिन-226001

2.3.19

(एल. वेंकटेश्वर लू)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी/

प्रमुख सचिव, निर्वाचन

उ0 प्र0 शासन।

विषय: **आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 से इस कार्यालय को अवमुक्त करने विषयक**

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 13.02.2019 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट सेवा को वर्ष 2012 से नई एवं आधुनिक तकनीक के माध्यम से और बेहतर बनाया गया है। वर्तमान में इस कार्यालय के अधीन 4 पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पी.एस.के.) तथा 28 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पी.ओ.पी.एस.के.) कार्यरत हैं तथा सभी में आवेदन पत्र ऑनलाइन एवं अग्रिम Appointment लेकर ही प्रोसेस किये जाते हैं। इन सभी पी.एस.के./पी.ओ.पी.एस.के. में क्रमवार पद्धति से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अस्थायी तौर पर ड्यूटी लगाई जाती है। अतः किसी तिथि में कौन अधिकारी/कर्मचारी पी.एस.के./पी.ओ.पी.एस.के. में पदस्थापित होगा, निश्चित रूप से बता पाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार पी.एस.के./पी.ओ.पी.एस.के. के संचालन में चुनाव ड्यूटी की वजह से पासपोर्ट सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो सकती हैं।

उक्त सन्दर्भ में हमें यह भी कहना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से निर्गत पत्र संख्या-1772/सी0ई0ओ0-1-145/1-2006 टीसी लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा इस कार्यालय को पूर्व में भी लोक सभा चुनाव सम्बन्धी कार्यों से अवमुक्त रखा गया था, जिसकी प्रति आपके समक्ष अवलोकनार्थ संलग्न है।

उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत आपसे विनम्र अनुरोध है कि सम्बन्धित पत्र का संज्ञान लेते हुए आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-19 हेतु इस कार्यालय को चुनाव सम्बन्धित ड्यूटी से मुक्त रखने का कष्ट करें।

529/ACEO

सादर,

भवदीय,

संलग्नक-उपरोक्त।

(पीयूष वर्मा)

भा0वि0से0

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

ACEO(R)

12.03.19

(योगेश्वर राम मिश्र)

विशेष सचिव निर्वाचन एवं

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उ0प्र0 शासन

583

Addl.CEO (P)

13/3/19

(रमेश चन्द्र राय)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तर प्रदेश

383

507

13/3/19

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तर प्रदेश

36/51

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या:-1771/सी0ई0ओ0–1–145/1–2006टीसी लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर, 2013

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी,

लखनऊ।

विषय:–आगामी लोकसभा चुनाव में अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव सम्बन्धी कार्यों से अवमुक्त रखें जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ से प्राप्त पत्र संख्या–पा0का0/लख0/551/3/2004 दिनॉक–21.10.2013 (छायाप्रति संलग्न) जो इस कार्यालय को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2014 के दौरान पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से यथासम्भव मुक्त रखने का कष्ट करें।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

D:\OLD DATA\TIWARI\barma jee\Mix leter barma jee.doc

FAX NO. :

14 Feb. 2014 5:04PM P1

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

F. CBSE/RO/DDN/PA-Misc./2019

Dt. 14/03/2019

The Chief Electoral Officer
IV Floor, Vikas Bhawan
Hazratganj, Lucknow
Uttar Pradesh - 226001

SUB: Request for exemption of Officers / Officials of CBSE, Principals and Teachers of CBSE Affiliated Schools from Election Duty, Parliament Election-2019 – Reg.

Respected Sir / Madam,

With reference to the captioned subject, I am to forward herewith a DO Letter No. CBSE/CE/EXAM-2019 dt. 12/03/2019 issued by Mrs. Anita Karwal, Chairperson-CBSE addressed to Shri Umesh Sinha, Deputy Election Commissioner, Election Commission of India for your kind perusal please.

The jurisdiction of Central Board of Secondary Education (CBSE) extends over its affiliated schools which include Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navoday Vidyalayas, schools run by the State/UT Govt., and under the aegis of Army Welfare Education Society and other Private Management. The CBSE Board Examinations for Class-X/XII – 2019 has commenced w.e.f. 15th Feb, 2019 which will continue till 04th April, 2019. The CBSE affiliated schools are fixed as Examination and Evaluation Centres for conduct of examinations and evaluation of Answer Books.

It is an acknowledged fact that the conduct of examination and subsequent declaration of result is a time bound task and thus, for timely disposal of examination and evaluation related activities and declaration of Board results, the Principals and Teachers of CBSE schools are entrusted with various pre and post-exam assignments. This being so, the Officers / Officials of CBSE and the Principals, Teachers of CBSE affiliated schools remain occupied in exam work till first week of June. In such circumstances, their involvement in Election Duty may cause impediment in the examination and related processes.

It is, therefore, requested that the Officers / Officials of CBSE and the Principals, Teachers of CBSE affiliated schools of Uttar Pradesh may kindly be exempted from Election Duty in the forthcoming Parliament Elections.

With kind regards.

Yours faithfully,

(Ranber Singh)
Regioanl Officer

Encls. : As above.

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

क्षेत्रीय कार्यालय – देहरादून, 99, कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड – 248001
Regional Office - Dehradun, 99, Kaulagarh Road, Dehradun, Uttarakhand - 248001
Phone: 0135-2757744 / 0135-2757766
Email: roddn@cbse.gov.in, roddn.cbse@gmail.com, Website : www.cbse.nic.in

अनीता करवल, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
Anita Karwal, IAS
Chairperson

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

CBSE/CE/EXAM-2019

12.03.2019

Dear Umesh,

As you are aware, the Central Board of Secondary Education is an Autonomous Organisation under Ministry of Human Resource Development, Government of India, established with the key mandate to conduct examinations at Secondary and Senior Secondary levels, for the students of the schools affiliated to it.

This year, about 33 lakh students from 21000 affiliated schools from India and 28 other countries are appearing in the Board examinations being conducted for classes X & XII. The examinations have commenced from 15th February, 2019, and will continue upto 4th April, 2019.

All examination related activities are controlled by CBSE Head Quarters and 10 Regional Offices located in different parts of the country. CBSE is a small organisation, and the process of conduct of examinations, and subsequent evaluation of close to 1.6 crore answer books, and the processing of results, requires the presence of all its personnel during the entire process.

Further, CBSE is holding its Board exams in approximately 5000 schools designated as examination centers. An equal number of schools are designated as Evaluation centers by the Board. The examination and evaluation centers include most of the Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas, state government schools (of Delhi, Sikkim, Arunachal Pradesh states and Chandigarh and Andaman and Nicobar Islands UT, as these states and UTs do not have a Board of their own, and CBSE is their Board) and many of the private affiliated schools.

The Principals, teachers and staff of all such examination and evaluation centers are involved in the conduct of exams and evaluation of answer books. In addition, the PGT and TGT teachers, and Physical Education, and vocational subject teachers, etc., are also evaluators for the Board. Therefore, the entire personnel of CBSE, and the Principals and teachers of the affiliated schools will remain engaged in the aforementioned work.

In view of above, it is requested that the officials of CBSE (at its Headquarters and all its regional and other offices in the country) and the Principals and teachers, and other exam related staff of affiliated schools (including KV, JNV, state government and private schools), that are involved either in conduct of exams, or evaluation may not be given election duty in the forthcoming Parliament Election. It is also informed that all these officials have never been assigned any election duty during the Board exams in the past i.e. since the establishment of the CBSE.

Contd........2

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
"Shiksha Kendra" 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110092
Telephone: +91-11-23220154, +91-11-22467263 / Fax : +91-11-22515826 / E-mail : chmn-cbse@nic.in
Website. www.cbse.nic.in

33/51

अनीता करवल, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
Anita Karwal, IAS
Chairperson

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

It is also brought to your kind notice that as per the directives of Hon'ble High Court, Delhi in the WP(C) No. 7024/2018, Akshita Singh Vs Lady Sri Ram College for Women & Ors, CBSE has to complete its process of declaration of results and re-evaluation of Answer Books and its result before the last date of admission in Undergraduate Courses of Delhi University. The process is expected to continue till first week of June 2019.

A line of confirmation for exempting requested officials and functionaries will help the CBSE in carrying out its responsibilities in a timely manner.

With regards

Yours sincerely

(Anita Karwal)

Sri Umesh Sinha
Deputy Election Commissioner
Election Commission of India
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi 110001

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
"Shiksha Kendra" 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110092
Telephone: +91-11-23220154, +91-11-22467263 / Fax : +91-11-22515826 / E-mail : chmn-cbse@nic.in
Website: www.cbse.nic.in

32/51

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

F. CBSE/RO/DDN/PA-Misc./2019

Dt. 14/03/2019

The Chief Electoral Officer
IV Floor, Vikas Bhawan
Hazratganj, Lucknow
Uttar Pradesh - 226001

SUB: Request for exemption of Officers / Officials of CBSE, Principals and Teachers of CBSE Affiliated Schools from Election Duty, Parliament Election-2019 – Reg.

Respected Sir / Madam,

With reference to the captioned subject, I am to forward herewith a DO Letter No. CBSE/CE/EXAM-2019 dt. 12/03/2019 issued by Mrs. Anita Karwal, Chairperson-CBSE addressed to Shri Umesh Sinha, Deputy Election Commissioner, Election Commission of India for your kind perusal please.

The jurisdiction of Central Board of Secondary Education (CBSE) extends over its affiliated schools which include Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navoday Vidyalayas, schools run by the State/UT Govt., and under the aegis of Army Welfare Education Society and other Private Management. The CBSE Board Examinations for Class-X/XII – 2019 has commenced w.e.f. 15th Feb, 2019 which will continue till 04th April, 2019. The CBSE affiliated schools are fixed as Examination and Evaluation Centres for conduct of examinations and evaluation of Answer Books.

(अमेश चन्द्र राय) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश

It is an acknowledged fact that the conduct of examination and subsequent declaration of results is a time bound task and thus, for timely disposal of examination and evaluation related activities and declaration of Board results, the Principals and Teachers of CBSE schools are entrusted with various pre and post-exam assignments. This being so, the Officers / Officials of CBSE and the Principals, Teachers of CBSE affiliated schools remain occupied in exam work till first week of June. In such circumstances, their involvement in Election Duty may cause impediment in the examination and related processes.

It is, therefore, requested that the Officers / Officials of CBSE and the Principals, Teachers of CBSE affiliated schools of Uttar Pradesh may kindly be exempted from Election Duty in the forthcoming Parliament Elections.

With kind regards!

(अरविन्द कुमार पाण्डेय) मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश

Yours faithfully,

(Ranbir Singh)
Regioanl Officer

Encls. : As above.

35/51

अनीता करवल, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
Anita Karwal, IAS
Chairperson

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

CBSE/CE/EXAM-2019

12.03.2019

Dear Umesh,

As you are aware, the Central Board of Secondary Education is an Autonomous Organisation under Ministry of Human Resource Development, Government of India, established with the key mandate to conduct examinations at Secondary and Senior Secondary levels. for the students of the schools affiliated to it.

This year, about 33 lakh students from 21000 affiliated schools from India and 28 other countries are appearing in the Board examinations being conducted for classes X & XII. The examinations have commenced from 15th February, 2019, and will continue upto 4th April, 2019.

All examination related activities are controlled by CBSE Head Quarters and 10 Regional Offices located in different parts of the country. CBSE is a small organisation, and the process of conduct of examinations, and subsequent evaluation of close to 1.6 crore answer books, and the processing of results, requires the presence of all its personnel during the entire process.

Further, CBSE is holding its Board exams in approximately 5000 schools designated as examination centers. An equal number of schools are designated as Evaluation centers by the Board. The examination and evaluation centers include most of the Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas, state government schools (of Delhi, Sikkim, Arunachal Pradesh states and Chandigarh and Andaman and Nicobar Islands UT, as these states and UTs do not have a Board of their own, and CBSE is their Board) and many of the private affiliated schools.

The Principals, teachers and staff of all such examination and evaluation centers are involved in the conduct of exams and evaluation of answer books. In addition, the PGT and TGT teachers, and Physical Education, and vocational subject teachers, etc., are also evaluators for the Board. Therefore, the entire personnel of CBSE, and the Principals and teachers of the affiliated schools will remain engaged in the aforementioned work.

In view of above, it is requested that the officials of CBSE (at its Headquarters and all its regional and other offices in the country) and the Principals and teachers, and other exam related staff of affiliated schools (including KV, JNV, state government and private schools), that are involved either in conduct of exams, or evaluation may not be given election duty in the forthcoming Parliament Election. It is also informed that all these officials have never been assigned any election duty during the Board exams in the past i.e. since the establishment of the CBSE.

Contd........2

36/51

अनीता करवल, भा.प्र.से.
अध्यक्ष
Anita Karwal, IAS
Chairperson

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

-2-

It is also brought to your kind notice that as per the directives of Hon'ble High Court, Delhi in the WP(C) No. 7024/2018, Akshita Singh Vs Lady Sri Ram College for Women & Ors, CBSE has to complete its process of declaration of results and re-evaluation of Answer Books and its result before the last date of admission in Undergraduate Courses of Delhi University. The process is expected to continue till first week of June 2019.

A line of confirmation for exempting requested officials and functionaries will help the CBSE in carrying out its responsibilities in a timely manner.

With regards

Yours sincerely

(Anita Karwal)

Sri Umesh Sinha
Deputy Election Commissioner
Election Commission of India
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi 110001

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
"Shiksha Kendra" 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi - 110092
Telephone: +91-11-23220154, +91-11-22467263 / Fax : +91-11-22515826 / E-mail : chmn-cbse@nic.in
Website: www.cbse.nic.in

37/51

I 12

सेवा में,
श्रीमान मु0-नु0अधि0 महोदय
25 FEB 2019 भारत निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय— प्रार्थिनी की 45 प्रतिशत अस्थि विकलांगता के फलस्वरूप चुनाव डयूटी से पृथक रखे जाने हेतु प्रत्यावेदन।

2331 C20114

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थिनी प्राथमिक विद्यालय फरीदापुर विकास खण्ड तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर दिनांक 31.12.2015 से कार्यरत है, प्रार्थिनी की नियुक्ति विकलांग कोटे के अर्न्तगत हुई है अवलोकनार्थ नियुक्ति पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति क्रमांक एक पर संलग्न है।

प्रार्थिनी को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्रीमान जी के कार्यालय से चुनाव डयूटी हेतु जो सूची प्रेषित की गयी है उसमें प्रार्थिनी का नाम सम्मलित होने की सम्भावना है उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थिनी की डयूटी चुनाव में लगाए जाने की सम्भावना है जब कि प्रार्थिनी विकलांगता की मजबूरी के कारण शारीरिक रूप से चुनाव डयूटी करने की स्थिति में नही है इस सम्बंध में प्रार्थिनी अपने विकलांग प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति क्रमांक दो पर संलग्न कर रही है जो श्रीमान मुख्य चिक्तिसाधिकारी जनपद हरिद्वार के कार्यालय से क्रमांक नं0 एम02/2003/09/03 दिनांक 29.04.2003 को निग्रत किया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी की 45 प्रतिशत अस्थि विकलांगता को दृष्टिगत रखते हुए विधिक एवं मानवीय आधार पर प्रार्थिनी को चुनाव डयूटी से मुक्त रखे जाने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

संलग्न उपरोक्त अनुसार 2

प्रार्थिनी प्रीति (इ0अ0)

दिनांक— 12-02-2019

प्रीति
पद सहायक अध्यापिका
प्राथमिक विद्यालय फरीदापुर
विकास क्षेत्र— तिलहर
जनपद — शाहजहाँपुर
(उ0प्र0)
पिन कोड— 242307
मो0नं0— 9627848830

38/51

G.E-2009

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

Tel No. 23717590
Fax No.23717590

SUMIT MUKHERJEE
UNDER SECRETARY

No.464/INST/2008/EPS

Date: 23rd December 2008.

To

The CEOs of all States/UTs.

Sub:- Drafting of physically challenged personnel for election duty-regarding.

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the Commission's letter no. 458/4/98-PLN-IV dated 30.10.1998 (copy enclosed) on the above matter. Subject to the condition stipulated in the above said letter, the physically challenged personnel in the past have been used as polling staff. Recently, the Election Commission has introduced the concept of micro-observer. Feedbacks have been received that in some places physically challenged personnel have been deployed as micro observer in recent elections.

A letter received from one such micro observer reveals that the sensitivity required and expected to be shown while drafting physically challenged personnel for such an assignment has not been displayed by the field officials. In this context, the Election Commission while reiterating the earlier instructions in this regard has issued some new instructions as follow:

The persons with disabilities have been defined under the "Persons With Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995". The relevant extract of this Act is enclosed. Considering the nature of assignment and to avoid making hardship to such individuals, the Commission is of the view that the physically challenged persons with disabilities as defined under this Act should not be deployed on election duty. However, subject to compliance of the above circular relating to physically challenged persons if any such person is required to be used on election duty, prior approval of the Observer may be obtained giving full detail. The DEO and the RO shall make personal efforts to ensure that the special needs and requirements of the physically challenged persons are taken into account while choosing the polling

1

6 39/51

station for deployment. It shall be ensured that they are not posted in any remote areas, rather they should invariably be posted at the polling stations located in the headquarter. This can be incorporated in the randomization software itself so that the database contains information about the physically challenged personnel, if any and if drafted on election duty those persons are not be posted any difficult location even inadvertently. The RO should make a special effort to identify such individuals at the time of training itself and personally meet and discuss with them in order to appreciate their nature of disabilities and limitations and decide the deployment. In case any such physically challenged person even inadvertently deputed to any difficult location, the RO should be in a position to make necessary change manually in consultation with the Observer. The CEOs shall sensitize all the field officials about this instruction.

Yours faithfully,

(SUMIT MUKHERJEE)

2

7 40/51

प्रतिलिपि
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य/हेतु प्रेषित ; –
1. श्रीमान आयुक्त महोदय विकलांग कल्याण न्यायालय उत्तर प्रदेश लखनऊ
2. श्रीमान मु० निर्वाचन अधिकारी महोदय/निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ
3. श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद शाहजहाँपुर
4. श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद शाहजहाँपुर

संलग्न उपरोक्त 2 लो

प्रार्थिनी प्रीति (स.अ.)
पद–सहायक अध्यापिका
प्राथमिक विद्यालय फरीदापुर
विकास क्षेत्र– तिलहर
जनपद– शाहजहाँपुर
(उत्तर प्रदेश)
पिन कोड– 242307
मोबाइल नं0– 9627848830

दिनांक :– 12-02-2019

41/51

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER, HARDWAR

No. M-2/2003 |07|03 Dated [illegible]

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. 7/42071 KARMIK-2 DATED 20 MAY 1978

We Examined Sri/Smt./Km Preeti aged about 20 वर्ष Years
Son of/Wife of [illegible] Resident of
[illegible] Hardwar
Whose LTI/RTI is attested below and certify that he/she is a case of [illegible]
[illegible] Total loss of working efficiency
is [illegible] 45% His/Her Mark of Identification is [illegible]
[illegible]
We certified that He/She is permanently physically Handicapped person.

Orth. Surgeon (Member) | Eye Surgeon (Member) | Chief Medical Officer Hardwar

LTI/RTI of the candidate

Attested
CHIEF [illegible] Hard[illegible]

स्वप्रमाणित
प्रीति

42/51

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक : बेसिक/15977-16628 /2015-16 दिनांक - 30-12-2015

नियुक्ति आदेश

सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक-बे0शि0प0/14622-14792/ 2015-16 दिनांक 15-12-2015 के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक सेवा नियमावली 1981 एवं संशोधित अध्यापक तैनाती सेवा नियमावली 2008 एवं 2010 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत चयन समिति द्वारा चयनित किये जाने के उपरान्त विधिवत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों के अन्तर्गत चयनित एवं सफल प्रशिक्षण उपरान्त निम्नांकित प्रशिक्षुओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 एवं ग्रेड पे रू0 4200 में एक वर्ष की परिवीक्षाकाल पर अस्थाई रूप से मौलिक नियुक्ति प्रदान की जाती है।

यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि प्रशिक्षुओं द्वारा काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत शपथ पत्र एवं शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियों/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतियाँ यदि जाँचोपरान्त झूठी, कूटरचित अथवा अन्य किसी कारण से दूषित पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के साथ उनकी नियुक्ति, नियुक्ति तिथि से निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नही होगा। नियुक्त सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका के समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरान्त ही उन्हें वेतन अनुमन्य होगा। यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका में पारित अन्तिम/अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

S.No.	Name	Father's Name	DOB	Cast	Special Res.	School Name	Block Name
388	PRITEE	ISHAM SINGH	1983.06.25	SC	PH	FAREDAPUR	TILHAR

(राकेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

पृ0सं0-बेसिक/15977-16625 /2015-16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, शाहजहाँपुर।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), बरेली मण्डल बरेली।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ददरौल, शाहजहाँपुर।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर।
9. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, शाहजहाँपुर।
9. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र-जनपद शाहजहाँपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह सम्बन्धित अभ्यर्थियों का विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण पत्रों का भली भाँति परीक्षण कर लें।
10. सम्बन्धित विद्यालय के प्र0अ0/इं0अ0 को।
11. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों/अन्य प्रमाण पत्रों की 2 सत्य प्रमाणित प्रतियों सहित सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी से जाँचोपरान्त ही नियुक्त विद्यालय में 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश नियुक्ति तिथि से निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. कार्यालय की गार्ड फाइल हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।

स्वप्रमाणित
प्रीति

43/5)

---

(13)

Subject: FW: Request regarding relieving from election duty due to physical constraints (being divyang)
To: "ceo_uttarpradesh@eci.gov.in" <ceo_uttarpradesh@eci.gov.in>, "ceoup@nic.in" <ceoup@nic.in>

Date: 03/14/19 10:24 AM
From: secup <secup@secup.in>

IMG_20180522_133944.jpg (4.3MB) IMG_20180522_142147.jpg (906kB)

Dear Sir,

Please find attachments,

Thank you

State Election Commission, UP
PCF Building, 32-Station Road,
Lucknow - 226 001
Phone: 0522-2630195
Fax : 0522-2630115/2630134
Email : secup@secup.in

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

(अरविन्द कुमार प)
सहायक मुख्य निर्वाचन
उत्तर प्रदेश

From: Abhay Kumar <akcsjnv@gmail.com>
Sent: 13 March 2019 6:57 PM
To: secup
Cc: secup@up.nic.in
Subject: Request regarding relieving from election duty due to physical constraints (being divyang)

Respected Sir,
With due respect and regards I would like to state that as I, Abhay Kumar is a disable person with a disability of 60 % and moves wit the help of stick. Since my both hip joints are artificial I am unable to perform election duties.
I need your blessings in this regard.
Thanking you.
Yours faithfully
Abhay Kumar PGT COMPUTER SCIENCE
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, JIYANPUR, Azamgarh
Enclosure :a copy of disability certificate.

— IMG_20180522_133944.jpg

44/5)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.
Tel No. 23717590
Fax No.23717590

SUMIT MUKHERJEE
UNDER SECRETARY

No.464/INST/2008/EPS

Date: 23rd December 2008.

To
The CEOs of all States/UTs.

Sub:- Drafting of physically challenged personnel for election duty-regarding.

Sir/Madam,

I am directed to invite your attention to the Commission's letter no. 458/4/98-PLN-IV dated 30.10.1998 (copy enclosed) on the above matter. Subject to the condition stipulated in the above said letter, the physically challenged personnel in the past have been used as polling staff. Recently, the Election Commission has introduced the concept of micro-observer. Feedbacks have been received that in some places physically challenged personnel have been deployed as micro observer in recent elections.

A letter received from one such micro observer reveals that the sensitivity required and expected to be shown while drafting physically challenged personnel for such an assignment has not been displayed by the field officials. In this context, the Election Commission while reiterating the earlier instructions in this regard has issued some new instructions as follow:

The persons with disabilities have been defined under the "Persons With Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995". The relevant extract of this Act is enclosed. Considering the nature of assignment and to avoid making hardship to such individuals, the Commission is of the view that the physically challenged persons with disabilities as defined under this Act should not be deployed on election duty. However, subject to compliance of the above circular relating to physically challenged persons if any such person is required to be used on election duty, prior approval of the Observer may be obtained giving full detail. The DEO and the RO shall make personal efforts to ensure that the special needs and requirements of the physically challenged persons are taken into account while choosing the pollin

45/51

(1)

station for deployment. It shall be ensured that they are not posted in any remote areas, rather they should invariably be posted at the polling stations located in the headquarter. This can be incorporated in the randomization software itself so that the database contains information about the physically challenged personnel, if any and if drafted on election duty those persons are not be posted any difficult location even inadvertently. The RO should make a special effort to identify such individuals at the time of training itself and personally meet and discuss with them in order to appreciate their nature of disabilities and limitations and decide the deployment. In case any such physically challenged person even inadvertently deputed to any difficult location, the RO should be in a position to make necessary change manually in consultation with the Observer. The CEOs shall sensitize all the field officials about this instruction.

Yours faithfully,

(SUMIT MUKHERJEE)

46/51

(2)

Office of the Civil Surgeon Cum C.M.O., Patna

Report of the Medical Board For Handicaps Held on [illegible]

Memo No. [illegible] Dated [illegible]

1. Name of the Candidate: Abhay Kumar
2. Father's Name: Sri Amrendra Kumar Sinha
3. Home Address: A-10, R.C. Colony, Hanuman Nagar, Patna
4. Date of Birth: 13/6/1992
5. Mark of Identification: Til on Neck.
6. Nature of Handicapness:
   - (a) Visual [illegible]
   - (b) Locomotor [illegible]
   - (c) Speech & Hearing [illegible]
   - (d) Mental
7. Categories [illegible] 60%
   PROFOUND [illegible]
8. Signature of the Candidate: [illegible]

Member [illegible]

Chairman
Medical Board, PATNA
Civil Surgeon-cum-
Chief Medical Officer, PATNA

47/51

Office of the Civil Surgeon Cum C. M. O., Patna

Report of the Medical Board For Handicapt Held on 12/3/92

Memo No 1291 Dated 18/3/92

Name of the Candidate : Abhay Kumar.

Father's Name : Sri Amrendra Kumar Sinha.

3 Home Address : K-10, P.C Colony, Hanuman Nagar, Patna.

4 Date of Birth : 13/5/1972.

5 Mark of Identification : TU on Neck.

6 Nature of Handicap
(b) Visual
(c) Speech & hearing
(d) Mental

7 Categories : MILD, MODERATE, SEVERE PROFOUND (Total) moderate 60% (Sixty)

8 Signature of the Candidate :

Chairman
Medical Board, PATNA
Civil Surgeon-cum-
Chief Medical Officer, PATNA

48/51

World Health Organization
COUNTRY OFFICE FOR India

(14)

Date-14.03.2019

To,

The Chief Electoral Officer

Uttar Pradesh,

Lucknow

331/CEO
ACEO(M)

Subject- Exemption of World Health Organization Project Vehicles from Election Duty.

Dear Sir,

World Health Organization ia an United Nation Agency and is working across the country for Polio eradication. WHO unit offices are located in all the districts of the UP and the Surveillance Medical Officer have been provided Project Vehicles for their official use with WHO sticker prominently displayed on the Vehicles.

Being an UN Agency, its property enjoys Privileges and immunities under The United Nations (Privileges and Immunities) Act 1947.

Hence it is requested that the WHO vehicles be exempted from its use in the electoral process in coming Parliamentary election.

Thanking you.

14.3 (एल. वेंकटेश्वर लू)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

647/ACEO
JCEO(R)

(बृजमोहन मिश्र)
विशेष सचिव निर्वाचन एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
शासन

630
Asstt CEO (P)

14/3/19
(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश

Your's sincerely,

Indu Shekhar

Indu Shekhar

Regional Administration and Finance Officer-UP

WHO Country Office for India

Lucknow

World Health Organization
NPSP Regional Office
3/250, Vinay Khand Gomti Nagar,
Lucknow-226010

417
SO-1

15/3/19
(अरविन्द कुमार पाण्डेय)

49/51

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015
अत्यावश्यक

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फैक्स/ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक: वी1–3 81/2015– 4814 पटना, दिनांक 17 सितम्बर, 2015 ई0।

प्रेषक

भरत लाल बैठा,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार, राज्य।

विषय :– बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015– वाहनों के अधिग्रहण के संबंध में।

प्रसंग:– श्री सुमित मुखर्जी, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 464/INST/2008-EPS दिनांक 26.12.2008.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ किया जाये। श्री सुमित मुखर्जी, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/INST/2008-EPS दिनांक 26.12.2008 के माध्यम से पूर्व में निर्गत आयोग के अनुदेशों के आलोक में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर वाहनों के अधिग्रहण में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी है :

क) निम्नलिखित विभागों के वाहनों का अधिग्रहण/उपयोग बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर नहीं किया जाना है –

1. Forest Department
2. All India Radio
3. Doordarshan
4. World Health Organization
5. UNICEF
6. All the Organizations of UN

ख) बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के लिए सामान्य परिस्थिति में निम्नलिखित विभागों के वाहनों का अधिग्रहण/उपयोग नहीं किया जाना है, किन्तु यदि चुनाव के सफल संचालन हेतु इन विभागों के वाहन का अधिग्रहण/उपयोग अनिवार्य हो जाये तब अपरिहार्य परिस्थिति में अन्तिम उपाय के रूप में इनके वाहनों का अधिग्रहण किया जा सकता है :–

1. Vehicles of BSNL
2. Vehicles of MTNL
3. Vehicles of UPSC
4. Vehicles of educational institutions (विशेष कर छात्रों को उनके निवास से संस्था तक ले जाने और वापस लाने वाले वाहन)

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर वाहनों के अधिग्रहण के समय आयोग के उपर्युक्त निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन कराने की कृपा की जाये। वाहन अधिग्रहण कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों/पुलिस अधीक्षक/निर्वाची पदाधिकारियों/सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को इसकी जानकारी तत्काल दी जाये।

अनु0– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
17/9/2015
(भरत लाल बैठा)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : वी1 3 59/2013– 4814 पटना, दिनांक 17 मई, 2013 ई0।

प्रतिलिपि : सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0 – यथा उपर्युक्त।

17/9/2015
(भरत लाल बैठा)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

Computer

50/51

6-1-09

G.E-2009

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001.

No. 464/INST/2008-EPS Dated: 26th December 2008

To

The Chief Electoral Officers
of all States/Uts.

Subject: - General Election to Lok Sabha, 2009 – Deployment of officers and staff-regarding.

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission has decided that: -

(a) Vehicles of BSNL, MTNL, UPSC and the vehicles of educational institutions which are specifically meant for carrying the students from their residence to educational institution will be requisitioned for election duty only in unavoidable circumstances and as a last resort.

(b) The vehicles of Forest Department, All India Radio, Doordarshan, World Health Organisation, UNICEF and all the organisations of UN will not be requisitioned for election duty.

Kindly acknowledge the receipt of the letter.

Yours faithfully

(SUMIT MUKHERJEE)
UNDER SECRETARY

51/51